निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1943 (श0)

संख्या 31 पटना, बुधवार, ————

1 सितम्बर 2021 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-19**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**20-21**
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**22-22**
पूरक	---
पूरक-क	**23-33**

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं
19 मार्च 2021

सं० 1/स्था०–13/2002 (खण्ड–II)–1862(s)––श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव (भा०प्र०से०) तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के स्थानांतरण के फलस्वरूप श्री पंकज कुमार पाल, अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना एवं श्री दिवेश सेहरा (भा०प्र०से०), तत्कालीन विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्थानांतरण के फलस्वरूप श्रीमती शैलजा शर्मा, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उक्त निगम के अंशधारी के रूप में मनोनित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप–सचिव (प्र०को०)।

---

4 मई 2021

सं0 1/स्था०–24/2020–2368(s)––कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु निम्नलिखित अभियंताओं की सेवा कार्यहित में बिहार चिकित्सा सेवायें आधारभूत सरंचना निगम में कार्य करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सौंपी जाती है :–

क्र० सं०	नाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3
1.	श्री इन्द्रजीत कुमार/नालन्दा (मो० नं०–9123115443)	अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना अंचल, पटना।
2.	श्री रणजीत कुमार/सारण (मो० नं०–9430030601)	कार्यपालक अभियंता (योजना निरूपण NHAI भूअर्जन एवं गुण नियंत्रण)–1, पथ निर्माण विभाग, पटना। (अतिरिक्त प्रभार अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (योजना निरूपण NHAI भूअर्जन एवं गुण नियंत्रण) उत्तर अंचल, पटना।)
3.	श्री रजनीकान्त तिवारी/ भोजपुर (मो० नं०–9470001281)	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, औरगांबाद।
4.	श्री अरूण कुमार/रोहतास (मो० नं०–9431820171)	कार्यपालक अभियंता, वर्त्तमान में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में पदस्थापित।
5.	श्रीमती मृदला नारायण सिन्हा/पटना (मो० नं०–9431267799)	कार्यपालक अभियंता (योजना निरूपण NHAI भूअर्जन एवं गुण नियंत्रण)–2, पथ निर्माण विभाग, पटना।
6.	श्री रामकृष्ण प्रसाद/मधुबनी (मो० नं०–6203315614)	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, कटिहार (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ)।
7.	श्री मनीष कुमार/अरवल (मो० नं०–9431419046)	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, जन्दाहा (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग)।

कोरोना संक्रमण को देखते हुये बिहार चिकित्सा सेवाएँ आधारभूत संरचना निगम के महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अनुरोध के आलोक में अविलंब आवश्यकता के मद्देनजर बिना पारगमन काल का उपभोग करते हुये अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप–सचिव (प्र०को०)।

4 जून 2021

सं० 1/स्था०–13/2002 (खण्ड–II)–2501(s)––श्री राज कुमार लाल, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्थानांतरण के फलस्वरूप श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, अभियंता प्रमुख (संविदा प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के Memorandum of Article of Association के Article-75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के निदेशक के रूप में मनोनित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप–सचिव (प्र०को०)।

---

22 जून 2021

सं0 1/स्था०–08/2021–2845(s)––1. श्री शशि भूषण सहाय (गृह जिला–आरा), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, जमुई को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2846(s)––2. श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव (गृह जिला–सारण), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ को स्थानान्तरित करते हुए उप मुख्य सेतु विशेषज्ञ (कार्यपालक अभियंता), सेतु शोध एवं विकास प्रमंडल–2, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2847(s)––3. श्री अजय कुमार आजाद (गृह जिला–मधुबनी), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०–1, पथ निर्माण विभाग, गया को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, सीतामढ़ी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(i) यह आदेश श्री राज कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के दिनांक 31.07.2021 के सेवानिवृति के उपरांत दिनांक 01.08.2021 से प्रभावी होगा।

सं0 1/स्था०–08/2021–2848(s)––4. श्री संजय शर्मा (गृहजिला–जहानाबाद), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, हिलसा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय एट मुंगेर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(i) इसके अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, हिलसा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/स्था०–08/2021–2849(s)––5. श्री अरविन्द कुमार सिंह (गृह जिला–वैशाली), कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय एट मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2850(s)––6. श्री उदय शंकर सिंह (गृह जिला–मुजफ्फरपुर), कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2851(s)––7. श्री पाण्डेय धर्मेन्द्र किशोर (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–1, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2852(s)––8. श्री मधुरेन्द्र कुमार (गृह जिला–औरंगाबाद), कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए उप निदेशक, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पटना पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2853(s)––9. श्री विजय कुमार (गृह जिला–औरंगाबाद), कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण–2), मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2854(s)––10. श्री प्रिय रंजन केशव (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता–1, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए योजना एवं समन्वय पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता)–1, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2855(s)––11. श्री सुशील कुमार (गृह जिला–मधेपुरा), निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु सेवा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को अगले आदेश तक सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2856(s)––12. श्रीमति मृदुला नारायण सिन्हा (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता (योजना निरूपण, NHAI, भू–अर्जन एवं गुण नियंत्रण)–2, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) का कार्यालय, पटना **(स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति आदेश संख्या–2368 (एस), दिनांक 04.05.2021 को संशोधित करते हुए)** को कार्यपालक

अभियंता–2, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2857(s)––13. श्री राम कुमार यादव (गृह जिला–मधुबनी), कार्यपालक अभियंता–सह–उप महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2858(s)––14. श्री सुधीर कुमार सिंह (गृह जिला–औरंगाबाद), अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, भोजपुर पथ अंचल, आरा को स्थानान्तरित करते हुए निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2859(s)––15. श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता–1, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2860(s)––16. श्री पवन कुमार सिंह (गृहजिला–सीतामढ़ी), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मुंगेर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(i) इसके अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, लखीसराय के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/स्था०–08/2021–2861(s)––17. श्री शैलेन्द्र भारती (गृहजिला–मुंगेर), कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पूर्णियाँ को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, सीवान के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2862(s)––18. श्री अरूण कुमार (गृहजिला–पटना), कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मधेपुरा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पूर्णियाँ के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2863(s)––19. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (गृहजिला–पू० चम्पारण), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गोपालगंज को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप–सचिव (प्र०को०)।

---

22 जून 2021

सं0 1/स्था०–08/2021–2865(s)––1. श्री उमेश कुमार राय (गृह जिला–कैमुर), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पटना पश्चिम, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, जमुई के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2866(s)––2. श्री अरूण कुमार (गृह जिला–रोहतास), कार्यपालक अभियंता, बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम की सेवा स्वास्थ्य विभाग से वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पटना पश्चिम, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2867(s)––3. श्री वासुदेव नन्दन (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, अररिया को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पूर्णियाँ के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2868(s)––4. श्री शशि भूषण सिंह (गृहजिला–पटना), वरीय परियोजना अभियंता (कार्यपालक अभियंता) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०–1, पथ निर्माण विभाग, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है **(यह आदेश दिनांक 01/08/2021 से प्रभावी होगा)**।

सं0 1/स्था०–08/2021–2869(s)––5. श्री रवि वर्मा (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, कटिहार को स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2870(s)––6. श्री प्रभात कुमार (गृह जिला–प० चम्पारण), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु सेवा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को अगले आदेश तक सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2871(s)––7. श्री अजय कुमार (गृह जिला–पटना), अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता (योजना निरूपण, NHAI, भू–अर्जन एवं गुण नियंत्रण)–1, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2872(s)––8. श्री देवकान्त कुमार (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, रोसड़ा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2873(s)––9. श्री ओम प्रकाश (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मधुबनी को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2874(s)––10. श्री अरबिन्द कुमार (गृह जिला–नालन्दा), वरीय परियोजना अभियंता (कार्यपालक अभियंता) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण–1), मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(ii) श्री कुमार अपने कार्यों के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत रहेंगे।

सं0 1/स्था०–08/2021–2875(s)––11. श्री प्रभाष चन्द्र (गृह जिला–सीतामढ़ी), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, सीवान को स्थानान्तरित करते हुए बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम में कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु सेवा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2876(s)––12. श्री भाष्कर मिश्रा (गृह जिला–मधुबनी), कार्यपालक अभियंता (योजना निरूपण, NHAI, भू–अर्जन एवं गुण नियंत्रण)–1, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) का कार्यालय, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता–सह–सम्पर्क पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार भवन, नई दिल्ली के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2877(s)––13. श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता (संविदा–2), मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु सेवा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2878(s)––14. श्री सुशील कुमार झा (गृह जिला–राँची), कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2879(s)––15. मो० अयाज अहमद (गृह जिला–दरभंगा), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, बेनीपुर को स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2880(s)––16. श्री राजेश कुमार गुप्ता (गृहजिला–रोहतास), अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, मगध पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, गया को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, शेरघाटी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2881(s)––17 श्री कासिम अंसारी (गृह जिला–सारण), वरीय परियोजना अभियंता (कार्यपालक अभियंता) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण)–3, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(ii) श्री अंसारी अपने कार्यों के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण–2), मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत रहेंगे।

सं0 1/स्था०–08/2021–2882(s)––18. श्री सुनील कुमार चौधरी (गृहजिला–मधुबनी), कार्यपालक अभियंता–2, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, हाजीपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2883(s)––19. श्री रवीन्द्र कुमार (गृहजिला–पटना), कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, हाजीपुर को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु सेवा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2884(s)––20. श्री अनिल कुमार मिश्रा (गृह जिला–मधुबनी), कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, पथ निर्माण विभाग, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2885(s)––21. श्री बृजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक सेतु निरूपण पदाधिकारी–3, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2886(s)––22. श्री प्रमोद कुमार (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2887(s)––23. श्री गिरीश नारायण सिंह (गृह जिला–रोहतास), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भभुआ के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–2888(s)––24. श्री अशोक कुमार (गृह जिला–बक्सर), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, समस्तीपुर को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता (योजना, अनुश्रवण एवं गुण नियंत्रण)–3, मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप–सचिव (प्र०को०)।

---

29 जून 2021

सं0 1/स्था०–10/2021–3028(s)––1. श्री ईश्वरी प्रसाद सिंह (गृह जिला–भागलपुर), अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पूर्णियाँ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–10/2021–3029(s)––2. श्री ओम प्रकाश सिंह (गृह जिला–भोजपुर), अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक अधीक्षण अभियंता के समकक्ष पद पर बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सेवा सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–10/2021–3030(s)––3. श्री शाकिर अली (गृह जिला–प० चम्पारण), अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की सेवा वापस लेते हुए अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पूर्णियाँ के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–10/2021–3031(s)––4. श्री छवि शंकर वर्मा (गृह जिला–पटना), उप महाप्रबंधक (तक०)–सह–अतिरिक्त प्रभार महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित निर्गत अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कार्यपालक अभियंता–2, मुख्य अभियंता (पथ संधारण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना को विलोपित किया जाता है।

(i) श्री वर्मा उप महाप्रबंधक (तक०)–सह–अतिरिक्त प्रभार महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पद पर पूर्ववत बने रहेंगे।

सं0 1/स्था०–10/2021–3032(s)––5. श्री नवाब आलम (गृह जिला–नालंदा), उप महाप्रबंधक (तक०)–सह–अतिरिक्त प्रभार महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक वरीय परियोजना अभियंता में पदस्थापन के साथ अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत उप मुख्य अभियंता के पद पर अतिरिक्त प्रभार में पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को सेवा सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–10/2021–3033(s)––6. श्री लक्ष्मी नारायण सिंह (गृह जिला–वैशाली), अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी के पद पर पद स्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–10/2021–3034(s)––7. श्री मुकेश कुमार (गृह जिला–दरभंगा), कार्यपालक अभियंता (योजना–2), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण) केन्द्रीय पथ अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–10/2021–3035(s)––8. श्री सत्तार खलीफा (गृह जिला–कैमुर), कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ–1 को अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–10/2021–3036(s)––9. श्री जर्नादन प्रसाद सिंह कश्यप (गृह जिला–रोहतास), अधीक्षण अभियंता (पथ संधारण)–2, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–10/2021–3028–3037(s)––10. श्री अनिल कुमार गुप्ता (गृह जिला–छपरा), कार्यपालक अभियंता–1, मुख्य अभियंता (पथ संधारण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना एवं अतिरिक्त प्रभार अधीक्षण अभियंता (पथ संधारण) –3 का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पदस्थापन के साथ अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–10/2021–3038(S)––11. श्री इम्तियाज अहमद (गृह जिला–सीतामढ़ी), कार्यपालक अभियंता सह अतिरिक्त प्रभार अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग की सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण) पूर्व बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री अहमद दिनांक 01.08.2021 के प्रभाव से अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर के प्रभार में रहेंगे।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप–सचिव (प्र०को०)।

---

29 जून 2021

सं0 1/स्था०–08/2021–3040(S)––1. श्री अभय कुमार (गृह जिला–भागलपुर), सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मधुबनी, पथ प्रमंडल, मधुबनी को पथ अवर प्रमंडल सं०–1, गोपालगंज, पथ प्रमंडल, गोपालगंज के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(i) श्री कुमार को अपने ही वेतनमान् में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गोपालगंज का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3041(S)––2. श्री अरविन्द कुमार (गृह जिला–शिवहर), सहायक अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से सेवा वापस लेते हुए सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, अररिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(i) श्री कुमार को अपने ही वेतनमान् में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, अररिया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3042(S)––3. श्री आलोक कुमार ठाकुर (गृह जिला–दरभंगा), सहायक अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से सेवा वापस लेते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, शेखपुरा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(i) श्री ठाकुर को अपने ही वेतनमान् में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, शेखपुरा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3043(S)––4. श्री संजय कुमार (गृहजिला–छपरा), सहायक अभियंता, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से सेवा वापस लेते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, मधुबनी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(i) श्री कुमार को अपने ही वेतनमान् में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3044(S)––5. श्री जितेन्द्र प्रसाद (गृह जिला–रोहतास), सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बक्सर, पथ प्रमंडल, बक्सर को सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, बेनीपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(i) श्री प्रसाद को अपने ही वेतनमान् में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, बेनीपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3045(S)––6. श्री प्रेम कुमार (गृह जिला–वैशाली), सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मोतिहारी, पथ प्रमंडल, मोतिहारी को सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, मोतिहारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(i) श्री कुमार को अपने ही वेतनमान् में कार्यपालक अभियंता, नव सृजित पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, ढ़ाका का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3046(S)––7. श्री लोकेश नाथ मिश्रा (गृह जिला–दरभंगा), सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, नवादा, पथ प्रमंडल, नवादा को प्राक्कलन पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(i) श्री मिश्रा को अपने ही वेतनमान् में कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, जयनगर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3047(S)––8. श्री राम कृष्ण प्रसाद (गृह जिला–मधुबनी), सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, कटिहार, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ (पूर्व निर्गत अधिसूचना को संशोधित करते हुए) को प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, रोसड़ा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

(i) श्री प्रसाद को अपने ही वेतनमान् में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, रोसड़ा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3048(S)––9. श्री राम सुरेश राय (गृह जिला–वैशाली), कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की सेवा वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता नव सृजित पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, झंझारपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3049(S)––10. श्री संजीव कुमार (गृह जिला–गया), सहायक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग की सेवा वापस लेते हुए अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को सेवा सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3050(S)––11. श्री अबुल कलाम आजाद (गृह जिला–बक्सर), सहायक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग को अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को सेवा सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3051(S)––12. श्री वीरेन्द्र प्रसाद (गृह जिला–नवादा), सहायक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग को अपने ही वेतनमान् में कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को सेवा सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3052(S)––13. अधिसूचना संख्या–2883 (एस), दिनांक 22.06.2021 द्वारा श्री रविन्द्र कुमार (गृह जिला–पटना), कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, हाजीपुर को अधिसूचित बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेश लिमिटेड को संशोधित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को सेवा सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–08/2021–3053(S)––14. अधिसूचना संख्या–2871 (एस), दिनांक 22.06.2021 द्वारा श्री अजय कुमार (गृह जिला–पटना), अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना को अधिसूचित कार्यपालक अभियंता (योजना निरूपण, NHAI, भू–अर्जन एवं गुण नियंत्रण)–1, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) का कार्यालय, पटना को संशोधित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता–2, मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप–सचिव (प्र०को०)।

---

29 जून 2021

सं० प्र०2/स्था०–07–01/2021–3055(S)––पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियंताओं (संविदा सहित)/ सहायक निदेशकों को कार्यहित में उनके नाम के आगे अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	सहायक अभियंता/निदेशक का नाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1	श्री रजनधारी सिंह/ पटना।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–2, गया, पथ प्रमंडल–1, गया (पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए)।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, पटना सिटी, पथ प्रमंडल, पटना सिटी।
2	श्री संजीव कुमार/ पूर्णियाँ।	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।
3	श्री हर्ष राज (संविदा)	सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना।	सहायक अभियंता (नाबार्ड), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना।
4	सुश्री रूपा कुमारी (संविदा)/सीतामढ़ी।	सहायक अभियंता, (अनुश्रवण) पथ प्रमंडल, मोतिहारी।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, देवरिया, पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–1
5	श्री कामेश्वर प्रसाद/ मधुबनी।	सहायक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल, खगड़िया।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, खगड़िया, पथ प्रमंडल, खगड़िया।
6	श्री अविनाश कुमार/ पटना।	सहायक अभियंता–सह–सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली।	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
7	श्री पंकज कुमार/ भागलपुर।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, मुंगेर, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमडल, लक्खीसराय एट मुंगेर।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कोढ़ा, पथ प्रमंडल, कटिहार।
8	श्री रविश कुमार रंजन /शिवहर।	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल–1, दरभंगा, पथ प्रमंडल, दरभंगा।

क्र० सं०	सहायक अभियंता / निदेशक का नाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
9	श्री कुमार अभिषेक / नालंदा।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, वारसलिगंज, पथ प्रमंडल, नवादा।
10	श्री कमलेश कुमार चौधरी / औरंगाबाद।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, लक्खीसराय, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमडल, लक्खीसराय एट मुंगेर।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल–2, गया, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमडल, डेहरी–ऑन– सोन एट गया।
11	श्री अजीत कुमार प्रेम / समस्तीपुर।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल सं०–2, बेनीपुर, पथ प्रमंडल, बेनीपुर।
12	श्री दिलीप कुमार सिह / जहानाबाद।	पथ अवर प्रमंडल सं०–2, औरंगाबाद, पथ प्रमंडल संख्या–1, औरंगाबाद।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, धमदाहा, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ।
13	श्री नन्द कुमार गुप्ता / भोजपुर।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, सासाराम, पथ प्रमंडल, कोचस।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, झाझा, पथ प्रमंडल, जमुई।
14	श्री संदीप / पटना।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, पटना सिटी, पथ प्रमंडल, पटना सिटी।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।
15	श्री रियाजुल हक अंसारी / छपरा।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल सं०–2, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल छपरा।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल सं०–1, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा।
16	श्री अशोक कुमार / बक्सर।	सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, हाजीपुर।	सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, पटना सिटी।
17	श्री प्रतीक कुमार / रोहतास।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–2, गया, पथ प्रमंडल, गया।
18	श्री सुनील कुमार / नालंदा।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, सहरसा, पथ प्रमंडल, सहरसा।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मोकामा, पथ प्रमंडल, पटना सिटी।
19	श्री अखौरी कमलेश्वरी प्रसाद / भोजपुर।	सहायक निदेशक, क्षेत्रीय प्रयोगशाला अंचल, पूर्णियाँ।	सहायक निदेशक, प्रयोगशाला सं०–1, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, पटना।
20	श्री बिमलेश कुमार / पटना।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	सहायक अभियंता (अनु०), मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना।
21	सुश्री ऋचा (संविदा) / वैशाली।	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल सं०–1, पथ प्रमंडल, छपरा।
22	श्री राजीव लोचन शुक्ला / भोजपुर।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), सारण पथ अंचल, हाजीपुर।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, जहानाबाद, पथ प्रमंडल, जहानाबाद।
23	श्री अनिल कुमार / पटना।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, मधेपुरा–2, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मझौल, पथ प्रमंडल, बेगूसराय।
24	श्री बृजनन्दन कुमार / गया।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), मगध पथ अंचल, गया।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, गया–1, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन– सोन एट गया।
25	श्री सुरेश कुमार चौधरी / औरंगाबाद।	सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, गोपालगंज।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल सं०–2, छपरा, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा।
26	श्री छोटे कुमार (संविदा) / अरवल।	सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल सं०–2, गया, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया।
27	श्री राजीव चौधरी / पटना।	सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, हिलसा, पथ प्रमंडल, हिलसा।

क्र० सं०	सहायक अभियंता/निदेशक का नाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
28	श्री उदय कुमार सिंह/ पटना।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–1, शिवहर, पथ प्रमंडल, शिवहर।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, महुआ, पथ प्रमंडल, हाजीपुर।
29	श्री मुकेश कुमार/ नालंदा।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
30	श्री अविनाश कुमार/ मोतिहारी।	सहायक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4, पथ निर्माण विभाग, पटना।	सहायक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2, पथ निर्माण विभाग, पटना।
31	श्री बिरेन्द्र उपाध्याय/ बलिया (यू०पी०)	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, पटना सिटी।	सहायक अभियंता (योजना एवं अनुश्रवण)–3, मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना।
32	श्री कमल नारायण प्रसाद/मधुबनी।	सहायक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–1, सीतामढ़ी, पथ प्रमंडल, सीतामढी।
33	श्री नागेन्द्र चौधरी/ मधुबनी।	सहायक निदेशक, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी।	सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी।
34	श्री विजय कुमार सिन्हा /सारण।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल सं०–1, सीतामढ़ी।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, जनदाहा, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग।
35	श्री अशोक कुमार सिंह /वैशाली।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, सासाराम, पथ प्रमंडल, कोचस।
36	श्री उपेन्द्र त्रिपाठी (संविदा)/पटना।	सहायक अभियंता (संविदा) (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, कोचस।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कोचस, पथ प्रमंडल, कोचस का अतिरिक्त प्रभार।
37	श्री अनुज कुमार/ पटना।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कंकड़बाग, पथ प्रमंडल, पटना सिटी।	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ (अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा में प्रतिनियुक्त रहेंगे।
38	श्री भगवान लाल /मोतिहारी।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मसौढ़ी, पथ प्रमंडल, पटना सिटी।	सहायक अभियंता (उत्तर)–4, मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना।
39	श्री अजय कुमार सिंह /नालंदा।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मोकामा, पथ प्रमंडल, पटना सिटी।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, अरवल, पथ प्रमंडल, अरवल।
40	श्री रजनीश कुमार/ झारखंड	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, धमदाहा, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल सं०–1, पथ प्रमंडल, सहरसा।
41	श्री जीतन कुमार चौधरी /गया।	सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण पथ अवर प्रमंडल, पटना सिटी।	सहायक अभियंता (योजना–1), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना।
42	श्री कृष्णानन्द सिंह/ रोहतास।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बड़हारा, पथ प्रमंडल, आरा।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पथ प्रमंडल, बक्सर।
43	श्री संजीव कुमार/ नालंदा।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पथ प्रमंडल, बक्सर।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बड़हारा, पथ प्रमंडल, आरा।
44	श्री राम निवास उपाध्याय /रोहतास।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–1,भभुआ, पथ प्रमंडल, भभुआ।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कुर्था, पथ प्रमंडल, अरवल।
45	श्री रवि रंजन कुमार/ बांका।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कहलगॉव, पथ प्रमंडल, भागलपुर।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पूर्व बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर।
46	श्री राहुल कुमार (संविदा)/मुंगेर।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–1, पथ प्रमंडल, भागलपुर।

क्र० सं०	सहायक अभियंता / निदेशक का नाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
47	श्री अरूण कुमार / भागलपुर	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बॉका, पथ प्रमंडल, बॉका।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, मुंगेर, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय एट मुंगेर।
48	श्री श्यामदेव प्रसाद यादव / लक्खीसराय।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, अमरपुर, पथ प्रमंडल, बॉका।	सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, बेतिया।
49	श्री गणेश दास / बांका	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, मुंगेर।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कहलगॉव, पथ प्रमंडल, भागलपुर।
50	श्री साकेत कुमार रौशन / कैमुर।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–1, शेखपुरा, पथ प्रमंडल, शेखपुरा।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मुंगेर, पथ प्रमंडल, मुंगेर।
51	श्री ठाकुर शशि शेखर / पू० चम्पारण।	सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल संख्या–2, पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–2	सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, सुपौल।
52	श्री मिहीर कुमार मिश्र / दरभंगा।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर, पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल सं०–1, शिवहर, पथ प्रमंडल, शिवहर।
53	श्री अवधेश कुमार / पू० चम्पारण।	सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, शिवहर।	सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, मधुबनी।
54	श्री वीरेन्द्र पाण्डेय / बक्सर।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मशरख, पथ प्रमंडल, छपरा।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, महाराजगंज, पथ प्रमंडल, सीवान।
55	श्री रणधीर कुमार / दरभंगा	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, अररिया।	सहायक अभियंता (सीमांचल)–2, मुख्य अभियंता (सीमांचल) उपभाग का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना।
56	श्री सुबेदार प्रजापति / औरंगाबाद।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बहादुरगंज, पथ प्रमंडल, किशनगंज।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, पीपराडीह, पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन।
57	श्री सुनील कुमार नं०–2 / सहरसा।	सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, सहरसा।	सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल पथ प्रमंडल, सुपौल।
58	श्री भुपेन्द्र श्रीवास्तव / रोहतास।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, गया, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ–2	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), मगध पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, गया।
59	श्री सुरेश कुमार पूर्वे / पटना।	सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ–2	सहायक निदेशक, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पूर्णियाँ।
60	श्री दयाकान्त राय / दरभंगा	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल संख्या–2, जयनगर, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल संख्या–1, सीतामढ़ी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी।
61	श्री परमानन्द मंडल / अररिया।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, बहादुरगंज, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, अररिया।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, बनमनखी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ।
62	श्री शिवेन्द्र कुमार / पटना।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, अरवल, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण)–9, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना।
63	श्री अशोक कुमार सिंह / पटना।	सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, गया–2, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन एट गया।	सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पटना।
64	श्री प्रमोद कुमार राय /	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना।	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड।

क्र० सं०	सहायक अभियंता/निदेशक का नाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
65	श्री नलिन विलोचन/ मुंगेर।	सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पटना।	सहायक अभियंता (सीमांचल)–3, मुख्य अभियंता (सीमांचल) उपभाग का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना।
66	सुश्री शिम्पी(संविदा)/पटना।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, गया।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण)–8, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना (अनुरोध पर)।
67	श्री अशोक कुमार/ भोजपुर।	सहायक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2, पथ निर्माण विभाग, पटना।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मशरख, पथ प्रमंडल, छपरा (अनुरोध पर)
68	श्री महेन्द्र प्रसाद/ नालंदा।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–2, सीतामढ़ी, पथ प्रमंडल, सीतामढी।	प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, हिलसा, पथ प्रमंडल, हिलसा (अनुरोध पर)।
69	श्री शुभम् कुमार/ नवादा	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना।
70	श्री जितेन्द्र कुमार (संविदा)/नालंदा।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ अंचल, सहरसा।	सहायक अभियंता (संविदा–2), मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना (अनुरोध पर)।
71	मो० अजीमुद्दीन (संविदा) /अररिया।	सहायक अभियंता (संविदा), पथ अवर प्रमंडल, सोनवर्षा, पथ प्रमंडल, सहरसा।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल सुपौल–1, पथ प्रमंडल, सुपौल (अनुरोध पर)।
72	श्री राधा कृष्ण प्रसाद/ नालंदा।	सहायक अभियंता (अनुश्रवण), मगध पथ अंचल, गया।	सहायक अभियंता (योजना अनुश्रवण)–3, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना (अनुरोध पर)।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप–सचिव (प्र०को०)।

———

30 जून 2021

सं० प्र०2/स्था०–07–01/2021–3073(s)––पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अभियंता को कार्यहित में उनके नाम के आगे अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	सहायक अभियंता/ निदेशक का नाम एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1	श्री अजय कुमार/ पटना।	सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, महुआ, पथ प्रमंडल, हाजीपुर।	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बब्लु कुमार, उप–सचिव (प्र०को०)।

———

4 अगस्त 2021

सं0 01/स्था०–06/2021–3737(s)––पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से भू–अर्जन कोषांग का गठन करते हुए संविदा के आधार पर नियुक्त करने हेतु मुख्य भू–अर्जन विशेषज्ञ का 01 (एक) पद एवं भू–अर्जन विशेषज्ञ का 02 (दो) पद सृजित किया गया है।

चयन समिति के अनुशंसा के आलोक में श्री प्रभु राम, भा0प्र0से0, सेवा निवृत्त निदेशक (प्रशासन)–सह–संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को भू–अर्जन विशेषज्ञ के पद पर 01 (एक) वर्ष या इनकी उम्र 65 वर्ष पूरी होने में जो पहले हो तक के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. भू–अर्जन विशेषज्ञ को सेवा निवृत्ति के समय अपुनरीक्षित वेतनमान् में प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड–पे तथा पुनरीक्षित वेतनमान् में प्राप्त मूल वेतन तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उस पर सेवा निवृत्ति की तिथि को देय मंहगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा, वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा, परंतु पेंशन पर महंगाई राहत मिलता रहेगा।

3. अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को इनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलजा शर्मा, संयुक्त सचिव।

---

13 अगस्त 2021

सं0 प्र0–11/पथ अधि0–02–01/2020–4034(s)––सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले निम्नलिखित पथ/पथांश को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण/निर्माण एवं संधारण हेतु निर्णय लिया जाता है :–

क्र0 स0	जिला का नाम	पथ प्रमण्डल का नाम	पथ का नाम/ मार्ग रेखन	लंबाई (कि०मी० में)	दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रसंग
1.	कटिहार	कटिहार	चापी से हसनगंज	6.17 कि०मी०	ग्रा0का0वि0 की अधिसूचना संख्या–5662 दिनांक–06.08.2019

2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथ का दायित्व रहित प्रभार संबंधित विभाग से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को समर्पित करेंगे। अधिग्रहित पथ के Right of Way संबंधित सूचना भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे।

3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

4. अधिग्रहण/ निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (प्र०को०)।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

23 अगस्त 2021

सं० 01/स्था०राज०–213/202–1341––गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत कार्यरत बिहार कृषि सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम–3 में मूल पदस्थापन एवं कॉलम–4 में अंकित कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता हैं:–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन हेतु पद/कार्यालय का नाम	अतिरिक्त प्रभार का पद/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
01	श्री राकेश रंजन	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	उप निदेशक, ईख विकास, पटना।	1. सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा। 2. सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया। 3. सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)। 4. सहायक निदेशक, ईख विकास, गया। 5. सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।
02	श्री कुवंर सिंह	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।	1 सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया। 2 सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा। 3. सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।

03	श्री राम गोविंद सिंह	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा समस्तीपुर।	1. सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान। 2. सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर। 3. सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी। 4. सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा। 5. सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर। 6. सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।
04	श्री रमेश प्रसाद राउत	उप निदेशक, ईख विकास, पटना।	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुख्यालय।	1. सहायक निदेशक, ईख विकास, जमूई। 2. सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझें जायेगें।
3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
4. उपरोक्त पदाधिकारी अपने वेतनमान में पदास्थापित होगें।
5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
पूनम कुमारी, उप–सचिव।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना
19 अगस्त 2021

सं0 8/आ0 (राज0 उ0)–02–05/2020–2965–श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर को रूपया 10000/–(दस हजार) रू0 घूस लेने के आरोप में निगरानी धावा दल द्वारा निगरानी थाना कांड सं0–069/2009 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0–086/2009 दर्ज किये जाने के आरोप में विभागीय कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के बचाव बयान पर सम्यक विचारोपरान्त अधिसूचना सं0–2744 दिनांक 27.06.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित किया गया था। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18676/2015 में दिनांक 11.09.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में दण्डादेश सं0–2744 दिनांक 27.06.2014 को निरस्त करते हुए पुनः अधिसूचना सं0–5192 दिनांक 28.12.2017 द्वारा सेवा में बहाल करते हुए न्यायादेश के आलोक में द्वितीय बचाव बयान से पुनः नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

02. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में उल्लेख किया गया है कि उन्हें द्वेष के भावना से फँसाया गया है। यह भी कहा गया है कि निगरानी के प्री ट्रैप मेमोरेंडम एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम में उल्लेखित जी0सी0 नोटों पर अंकित संख्या समरूप नहीं थी तथा राशि की बरामदगी उनके पहने हुए वस्त्र अथवा बदन से बरामद नहीं हुयी है, बल्कि आवास के कमरे के कोने में रखे हुए टेबल पर एक रजिस्टर से बरामद हुआ है।

श्री कुमार के नियंत्रणाधीन आवास के कमरे के एक रजिस्टर से ही रिश्वत की राशि की बरामदगी हुयी है। प्री ट्रैप मेमोरेंडम एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम से 500–500 के बीस नोटों की संख्या समान होना यह प्रमाणित करता है कि उक्त राशि परिवादी द्वारा उन्हें रिश्वत के रूप में समर्पित की गयी थी जो कि परिवादी को उनके जमानत की राशि की वापसी हेतु समाहर्त्ता को भेजे जाने वाले अनुशंसा के एवज में प्राप्त की गयी थी। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में वर्णित शास्तियों के उपरांत यह उल्लेखित है कि ऐसे हरेक मामले में जिसमें किसी पदीय कार्य करने या से प्रविरत करने के लिए हेतु या पुरस्कार के रूप में किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न, कोई पारितोषण स्वीकार किया जाना सिद्ध हो जाय, खंड–(x) या खंड–(xi) में उल्लेखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी। उक्त विभगीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान पर सम्यक विचारोपरान्त अधिसूचना सं0–2966 दिनांक–29.08.2018 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।

03. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा सी0डब्लू0जे0सी सं0–19815/2018 दायर किया गया। इस याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पारित न्यायादेश में माननीय न्यायालय का प्रेक्षण है कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निगरानी विभाग के दर्ज प्राथमिकी और निगरानी विभाग का प्रतिवेदन के अतिरिक्त आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध रिश्वत लेने और अप्रत्यानुपातिक सम्पत्ति के संग्रह करने के आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

"..28. The impugned notification, issued vide Memo. No. 2966 dated 29.08.2018, is, therefore, unsustainable and is accordingly quashed. Consequences of quashing of the impugned order shall follow.

29. Since the impugned order has been interfered with on the ground of absence of evidence, the petitioner shall be entitled to all consequential benefits, including the back wages for the period during which he remained out of service because of the impugned order. The Department will have to proceed as if no order imposing punishment was ever passed against the petitioner.

30. It is, however, indicated that the respondents shall be free to take appropriate decision dependent upon the outcome of the criminal cases lodged against the petitioner.

31. This application is allowed with the aforesaid observations and directions.

32. No order as to costs."

04. सी0डब्लू0जे0सी सं0 19815/2018 संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पारित न्यायादेशके विरूद्ध एल0पी0ए0 सं0 264/2021 दायर किया गया है, जो सम्प्रति माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त एल0पी0ए0 में कोई अन्तरिम आदेश पारित नहीं हुआ है। इसी बीच श्री कुमार द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–19815/2018 में पारित न्यायादेश के अनुपालन नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय में एम0जे0सी0 सं0–1110/2020 (संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दायर किया गया। उक्त अवमानना वाद की सुनवाई दिनांक 21.06.2021 एवं 28.06.2021 के पश्चात स्थायी समुपदेशक–11 द्वारा संसूचित किया गया है कि:–

"The Hon'ble court heard the matter. In this case, the state is respondent through learned A.A.G- 6 assisted by undersigned. The Hon'ble court expressing is displeasure to non compliance of order orally observed that the respondent department has committed contempt of court and expected the compliance of order by next date i.e 28-06-2021.

Against order/judgement dated- 03-03-2020, an appeal being LPA no- 264/2021 has been filed by the department. The undersigned thereafter has mentioned the matter on 22-06-2021 and 24-06-2021 before the court of Hon'ble the chief justice and Hon'ble Mr. Jus. S.Kumar for early hearing. The Hon'ble court is primarily of the view that the department comply with the order of Hon'ble single judge subject to result of pending appeal.

Under the aforesaid circumstances, it is expected that the department may comply with the order dated- 03-03-2020 passed by Hon'ble single judge. "

05. तत्पश्चात् एम0जे0सी0 सं0–1110/2020 (संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–30.06.2021 को पारित आदेश निम्नवत है:–

" It is stated by Mr. P.N.Sahi, learned A.A.G.-4 that the department is taking steps for complying with the order of this Court, violation of which has been complained of in the present contempt application, with a clear stipulation that the same shall be subject to final outcome of an appeal preferred under the Letters Patent of this Court. He states that the order shall essentially be complied with within eight weeks.

List this case on 28.07.2021."

06. उक्त न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत है:–

"सी0डब्लू0जे0सी सं0 19815/2018 संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–03.03.2020 में पारित न्यायादेश के कार्यान्वयन की बाध्यकारी स्थिति है। उक्त न्यायादेश के कार्यान्वयन हेतु प्रशासी विभाग द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने संबंधी प्रशासी विभाग की अधिसूचना सं0–2966 दिनांक–29.08.2018 को निरस्त किये जाने के साथ–साथ परिणामी लाभ की स्वीकृति प्रदान की जानी होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–1093 दिनांक 20.11.2018 के आलोक में वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए प्रशासी विभाग प्रभारी मंत्री का आदेश प्राप्त कर कार्यान्वयन आदेश निर्गत कर सकता है।"

07. उक्त के क्रम में वित्त विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया है, जो निम्नवत् है :–

"सी0डब्लू0जे0सी सं0 19815/2018 संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पारित न्यायादेश का अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति है। अतः प्रशासी विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभागीय सहमति प्रदान की जा सकती है।"

08. साथ ही विधि विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया है, जो निम्नवत् है :–

"मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–1093 दिनांक–20.11.2018 के आलोक में विषयाधीन मामले को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा जा सकता है।"

09. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–1093 दिनांक–20.11.2018 द्वारा चतुर्थ अनुसूचि के भाग (घ) में संषोधन करते हुए कंडिका–4 जोड़ी गयी है, जिसके अनुसार– ऐसे मामलों का अनुपालन जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम न्यायादेष पारित किये गये हो एवं उनके विरूद्ध कोई अपील/पुर्नविचार याचिका दायर करना संभव नहीं है तो उसे वित्त विभाग/सामान्य प्रषासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रषासी विभाग मामले को प्रस्तुत करेगी।

10. वर्णित स्थिति में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया। विधि विभाग के ज्ञापांक–4599 दिनांक 19.08.2021 द्वारा संसूचित बैठक की कार्यवाही में समिति द्वारा निम्नलिखित अनुषंसा की गयी हैः–

(i) श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–2966 दिनांक–29.08.2018 द्वारा अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश को निरस्त किया जाय।

(ii) श्री कुमार को नियमानुसार परिणामी लाभ प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(iii) दण्डादेश निरस्तीकरण एवं उसके परिणामी लाभ श्री कुमार के विरूद्ध दायर आपराधिक मुकदमा एवं सी0डब्लू0जे0सी सं0 19815/2018 (संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध सरकार द्वारा दायर एल0पी0ए0–264/2021 के प्राप्त आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

(iv) सी0डब्लू0जे0सी सं0 19815/2018 (संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पारित न्यायादेश में माननीय न्यायालय के प्रेक्षण के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन में त्रुटि की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

11. अतः मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुषंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिया जाता हैः–

(i) श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–2966 दिनांक 29.08.2018 द्वारा अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है।

(ii) श्री कुमार को नियमानुसार परिणामी लाभ प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(iii) दण्डादेश निरस्तीकरण एवं उसके परिणामी लाभ श्री कुमार के विरूद्ध दायर आपराधिक मुकदमा एवं सी0डब्लू0जे0सी सं0 19815/2018 (संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध सरकार द्वारा दायर एल0पी0ए0–264/2021 के प्राप्त आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

(iv) सी0डब्लू0जे0सी सं0 19815/2018 (संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पारित न्यायादेश में माननीय न्यायालय के प्रेक्षण के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन में त्रुटि की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

12. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना
25 अगस्त 2021

सं0 04/STA-(विविध)–30/2016, परि0–5281––मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा–(3)(c-a) के आलोक में अधिसूचना संख्या–836, दिनांक 05.02.2018, अधिसूचना संख्या–709, दिनांक 23.01.2019, अधिसूचना संख्या–8961, दिनांक 31.12.2020 एवं अधिसूचना संख्या–860, दिनांक 08.02.2021 द्वारा कुल–5318 अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचित कतिपय मार्गों में अंकित ''मीठापुर बस स्टैण्ड'' के स्थान पर ''पाटलीपुत्र बस टर्मिनल, बैरिया, पटना'' संशोधित किया जाता है।

अतः उक्त अधिसूचना में अंकित ''मीठापुर बस स्टैण्ड'' के स्थान पर ''पाटलीपुत्र बस टर्मिनल, बैरिया, पटना'' अंकित समझा जाय।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, **उप–सचिव।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

25 अगस्त 2021

सं0 1/प०9–02/2005 (खण्ड)–**740**––विभागीय अधिसूचना संख्या–928, दिनांक 17.12.2020 के क्रम में श्री अरविन्द महाजन, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, छपरा संग्रहालय, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त क्षेत्रीय उप निदेशक, संग्रहालय, पटना के प्रभार की अवधि को दिनांक 01.04.2021 से अगले आदेश दिनांक 31.12.2021 तक (उनके सेवा निवृत्ति की तिथि) के लिए विस्तारित किया जाता है।

2. इस प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक आनन्द, अपर सचिव।

VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I

DECLARATION
The 16th August 2021
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**07/2021**--**4007 (C.D)**--WHEREAS, It is alleged that **Sri Moti Lal Singh, the then Mines Inspector, Gaya, (Dismissed from Government Service on 28.03.2014), S/o Late Bechu Singh, Vill. - Mayapur, Post - Tarar, P.S. - Daudnagar, District - Aurangabad at Present House No. - 03, Holding No. - 78/06, Circle No. - 249B, Bochahaan Sadan, Kailash Enclave Road, Near Sangeeta Palace, Mohalla-Shivpuri, P.S. - Shastri Nagar, District - Patna,** while holding the post of **Mines Inspector, Gaya** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance Investigation Bureau, Bihar Case No. **12/2019** dated **25.03.2019.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Moti Lal Singh, the then Mines Inspector, Gaya,** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the provisions of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

Office Order

The 23rd August 2021

No. II-स्था0-46/2017-2626--In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no. 20, dt. 10.08.2021 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Sri Anshu Kumar Singh	Circle Officer, Aurangabad	For Circle Level
2	Sri Rana Akshay Pratap Singh	Circle Officer, Barun	For Circle Level
3	Sri Mukesh Kumar	Circle Officer, Goh	For Circle Level
4	Sri Md. Neman Ahmad	Circle Officer, Haspura	For Circle Level
5	Sri Vijay Kumar	Circle Officer, Daudnagar	For Circle Level
6	Sri Amit Kumar	Circle Officer, Obra	For Circle Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 16.08.2021

By Order,

Sd/-Illegible, Secretary to Commissioner.

The 14th August 2021

No. XI-K-रा0-01/2019-2502--In the light of proposal received from Collector, Gaya vide letter no. 362, dated 12-07-2021 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases us 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914

Sl. No.	Officer Name	Designation	Remarks
1	Sri Suresh Kumar	Circle Officer, Mohanpur	Circle Level
2	Sri Ashok Kumar	Circle Officer, Fatehpur	Circle Level
3	Sri Sanjeev Kumar Trivedi	Circle Officer, Guraru	Circle Level
4	Md. Kaushar Imam	Circle Officer, Dumariya	Circle Level
5	Sri Sanjay Kumar	Circle Officer, Bankebazar	Circle Level
6	Sri Ajay Kumar Singh	Circle Officer, Imamganj	Circle Level
7	Sri Yogendra Kumar	Circle Officer, Konch	Circle Level
8	Sri Nikesh Kumar	District Co-operative Officer, Gaya	Gaya District Level Co-operative Bank

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 06.08.2021

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

The 14th August 2021

No. XI-K-रा0.-07/2019-2503--In the light of proposal received from Collector, Nawadah vide letter no. 93 dt. 29.07.2021 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
1	Miss Anshu Kumari	District Panchayti Raj Officer, Nawada	Nawada District Level
2	Sri Prashant Abhishek	PGRO, Nawada	Nawada District Level
3	Sri Santan Kumar Singh	PGRO, Rajauli	Rajauli Sub-Division Level
4	Sri Md. Zafar Hassan	LRDC, Rajauli	Rajauli Sub-Division Level
5	Sri Birbal Varun Kumar	Circle Officer, Meskaur	Meskaur Circle Level
6	Sri Narendra Kumar	Circle Officer, Pakri Barawan	Pakri Barawan Circle Level
7	Sri Prem Kumar	Circle Officer, Barishliganj	Barishaliganj Circle Level
8	Sri Lovkesh Kumar	Circle Officer, Hisua	Hisua Circle Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 06/08/2021

By Order,
Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

वित्त विभाग

आदेश
27 अगस्त 2021

सं0 01/स्था0ले0से0–13/2021–5625/वि0––श्री राजेश कुमार यादव, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त लेखा पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

2. उपर्युक्त आदेश में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
गोरख नाथ, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 20—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : / / egazette . bih . nic . in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना
(शुद्धि-पत्र)
10 अगस्त 2021

सं0 प्र02/स्था0-वि0उ0-21-04/2018-3983(s)—बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में सीधे नियुक्ति पथ निर्माण विभाग संवर्ग के वैसे अभियंताओं जिनकी 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पूर्व ही अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति हो गयी थी, उन्हें 30 वर्ष की सेवा के पश्चात लेवल-13 A में तृतीय एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक 21.12.2020 को सम्पन्न स्क्रीनिग समिति की बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारण सूची में प्रथम योगदान की तिथि की प्रविष्टि बिहार अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक) सेवा वर्ग-I एवं II के अद्यतन वरीयता/औपबंधिक वरीयता सूची में अंकित प्रथम योगदान के तिथि के आधार पर किया गया था। उक्त विचारण सूची को समिति की समक्ष रखे जाने से पूर्व विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कराते हुये त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि (यदि कोई हो) के संबंध में संबंधित अभियंताओं से आपत्ति की मांग की गई थी। कुछ अभियंताओं द्वारा समर्पित आपत्ति का निराकरण के पश्चात विचारण सूची समिति के समक्ष रखी गई। समिति के अनुशंसा के उपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या-419 (एस) दिनांक 19.01.2021 द्वारा कुल-40 अभियंताओं को एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति दी गई।

2. महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना द्वारा कतिपय अभियंताओं के प्रथम योगदान की तिथि त्रुटिपूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया। उक्त के आलोक में मामले की समीक्षा की गई। तत्पश्चात पाया गया कि सेवा विनियमन तथा सेवा इतिहास से भिन्न वरीयता सूची में विभाग में प्रथम योगदान (प्रभार ग्रहण) की तिथि अंकित होने के कारण विचारण सूची में निम्नलिखित अभियंताओं के प्रथम योगदान की तिथि त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया, किन्तु संबंधित अभियंताओं द्वारा कोई आपत्ति समर्पित नहीं की गई थी। महालेखाकार द्वारा प्रतिवेदित तिथि के आलोक में प्रथम योगदान की तिथि को संशोधित किया जा रहा है तथा तदोपरान्त 30 वर्ष की सेवा के उपरान्त लेवल-13 A में तृतीय एम0ए0सी0पी0 अनुमान्य की तिथि में भी संशोधन किया जा रहा है।

अतः विभागीय अधिसूचना संख्या-419 (एस) दिनांक 19.01.2021 को निम्नलिखित हद तक संशोधित की जाती है:-

अधि0 संख्या-419 (एस) दिनांक 19.01.2021 में क्र0	सहायक अभियंता	वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/सेवा निवृत्ति की तिथि	प्रथम योगदान की तिथि		लेवल-13 A में तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि	
1	2	3	4	**5**		6 **B**	
				पूर्व में अंकित	संशोधित	पूर्व में अंकित	संशोधित
3	श्री सुरेश कुमार	229 EE	18-04-1962 30-04-2022	25-07-1987	**25-06-1987**	25-07-2017	**25-06-2017**
5	श्री राम नेवाज दुबे	143 EE	18-01-1959 31-01-2019	24-07-1987	-	17-06-2017	**24-07-2017**
7	श्री रमेश कुमार सिंह	155 EE	12-02-1961 28-02-2021	26-06-1987	-	26-06-2016	**26-06-2017**
8	श्री कृष्ण चन्द्र ठाकुर	158 EE	01-02-1959 28-02-2019	09-07-1987	**24-07-1987**	09-07-2017	**24-07-2017**
12	श्री अनिल कुमार सिन्हा	165 EE	15-02-1962 28-02-2022	01-07-1987	**18-06-1987**	18-06-2017	-
13	श्री अमरनाथ पाठक	169 EE	15-05-1964 31-05-2024	16-06-1987	**27-07-1987**	16-06-2017	**27-07-2017**

अधि० संख्या–419 (एस) दिनांक 19.01.2021 में क्र०	सहायक अभियंता	वर्ष 2011 का वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/सेवा निवृत्ति की तिथि	प्रथम योगदान की तिथि		लेवल–13 A में तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि	
1	2	3	4	5		6 B	
				पूर्व में अंकित	संशोधित	पूर्व में अंकित	संशोधित
15	श्री नीरज सक्सेना	180 EE	01-07-1964 30-06-2024	29-06-1987	-	19-06-2017	**29-06-2017**
16	श्री कृष्ण मुरारी	188 EE	02-11-1958 30-11-2018	16-06-1987	**19-06-1987**	16-06-2017	**19-06-2017**
18	श्री उमाकान्त ठाकुर	190 EE	08-01-1960 31-01-2020	18-06-1987	**28-07-1987**	18-06-2017	**28-07-2017**
20	श्री खगेश चन्द्र विश्वास	194 EE	04-05-1959 31-05-2019	01-07-1987	**25-07-1987**	01-07-2017	**25-07-2017**
21	श्री राजीव रंजन प्रसाद–1	196 EE	29-11-1960 30-11-2020	10-07-1987	**07-08-1987**	10-07-2017	**07-08-2017**
27	श्री प्रकाश चन्द्र	223 EE	27-10-1960 31-10-2020	23-06-1987	-	22-06-2017	**23-06-2017**
28	श्री अरूण कुमार मिश्र	224 EE	13-03-1961 31-03-2021	13-07-1987	-	23-07-2017	**13-07-2017**
29	श्री संजय कुमार सिंह	247 EE	15-03-1963 31-03-2023	16-06-1987	**18-06-1987**	16-06-2017	**18-06-2017**
31	श्रीमति सविता सिन्हा	252 EE	27-08-1961 31-08-2021	13-07-1987	**05-08-1987**	13-07-2017	**05-08-2017**
32	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	254 EE	26-10-1962 31-10-2022	16-06-1987	**08-07-1987**	16-06-2017	**08-07-2017**

2. **अधिसूचना संख्या–419 (एस) दिनांक 19.01.2021 का शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।**

आदेश से,
शैलजा शर्मा, संयुक्त सचिव।

---

11 अगस्त 2021

सं० 1/विविध–52/2017–3994(s)––विभागीय अधिसूचना संख्या–3049 (एस०) दिनांक 29.06.2021 में अंकित **"श्री संजीव कुमार (गृह जिला–गया)** के स्थान पर **"श्री संजीव कुमार सिन्हा (गृह जिला–गया)"** पढ़ा जाय।

2. शेष यथावत् रहेगा।

आदेश से,
बब्लु कुमार, उप–सचिव (प्र०को०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 20—571+10-डी०टी०पी०।
Website : http://egazette.bih.nic.in

भाग–9–ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 816—I, Varsa, W/o Deepak Kumar Singh, R/o Mustafapur, P.O.+P.S.-Khagaul Patna do here by declare that I am Varsa but wrongly mentioned in my child's School i.e. VARSHA, but correct name is VARSA. Affidavit no.-18508 dated 11.12.20.

Varsa.

———————

No. 819--**I, SHUBHAM** S/o Shailesh Kumar Sinha R/o Mahakali Apt., Ranajn-path, Danapur, Patna declare vide affidavit no. 11273 dated 27.07.21 that I will be known as Shubham Sinha.

SHUBHAM.

———————

No. 827—I, **UDAY** Prakash Singh R/o Flat no.-303, Block-B Dashrath Regency Bahadurpur Housing Colony Sector 8E, PS-Agamkuan, Patna-26 in my son all Educational Certificate his name written as Piyush vide affidavit no. 9427 dated 26.07.2021 as of now my son known as Piyush Aryan for all purposes.

UDAY Prakash Singh.

———————

सं0 833––मैं अविनेश कुमार, S/o कुमार अमर, फ्लैट नम्बर–201, भवानि पैलेस, आनंदपुरी, थाना–श्री कृष्णापुरी, पटना 800001, बिहार, घोषित करता हूँ कि मैं, शपथ–पत्र संख्या 13432, दिनांक 18.08.2021 के अनुसार अपना नाम अविनेश से अविनेश कुमार कर रहा हूँ। मैं अब अविनेश कुमार के नाम से जाना जाऊँगा।

अविनेश कुमार।

No. 833—I, Avinesh Kumar, S/o Kumar Amar, R/O Flat no.201, Bhawani Palace, Anandpuri, P.S – Sri krishnapuri, Dist.- Patna-800001, Bihar, declare that I have changed my name from Avinesh to Avinesh Kumar. Now I shall be known as Avinesh Kumar for all future purposes. Vide Affid. No.-13432 Dt:18.08.2021.

Avinesh Kumar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 20—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : / / egazette . bih . nic . in

बिहार गजट
का
पूरक (अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 पुर0–03/2015––**160/रा०**
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

संकल्प
28 जुलाई 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए गठित हिन्दी साहित्य सेवी सम्मान एवं पुरस्कार योजना के निर्णायक मंडल की स्व० सदस्या डॉ० शांति जैन के स्थान पर प्रो० डॉ० रामधारी सिंह दिवाकर, ए–303, वृन्दावन अपार्टमेंट, फेज–II, मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना का मनोनयन

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग की हिन्दी साहित्य सेवी सम्मान एवं पुरस्कार योजना वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा पुरस्कार नियमावली, 2005 के अधीन गठित निर्णायक मंडल में स्व० शान्ति जैन, 401, गिरि अपार्टमेंट, पूर्वी लोहानीपुर, पृथ्वीराज पथ, पटना–800003 के स्थान पर प्रो० डॉ० रामधारी सिंह दिवाकर, ए–303, वृन्दावन अपार्टमेंट, फेज–II, मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना का मनोनयन किया जाता है।

2. एतदर्थ विभागीय ज्ञाप संख्या–पुर० 03/2015–340/रा०, पटना, दिनांक 22.09.2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

3. आदेशः–आदेश दिया जाता है कि जनसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति अध्यक्ष और सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव।

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)–01–10/2020––7155
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प
16 अगस्त 2021

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्तीय नियमों एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आवश्यकता से लगभग दोगुनी राशि की दवा क्रय करने में श्री राजीव कुमार सिंह, अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गई है।

श्री सिंह का यह कृत्य बिहार वित्त नियमावली के नियम–10, 126, 131 (ग) (घ), (ड़), (च) एवं (ज) तथा बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम–797 (viii) एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राजीव कुमार सिंह, अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा श्री रूपक कुमार, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

———————

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)–01–22/2019–2753

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

———————

संकल्प

12 अगस्त 2021

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विष्वास करने का कारण है कि श्री बृज बिहारी शरण, तत्का0 जिला अवर निबंधक, शेखपुरा सम्प्रति जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध श्री महेष्वर ठाकुर द्वारा दस्तावेज संख्या–4478/2018 एवं 4382/2018 के निबंधन में राजस्व क्षति का परिवाद दिया गया है। परिवाद पत्र की जॉच सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से करायी गयी, जिसमें तथ्य छुपाकर राजस्व क्षति से संबंधित होने के कारण कमी मुद्रांक वाद संख्या–09/2018 के अन्तर्गत दस्तावेज सं0–4478/2018 में मो0 1,08,045 रू0 एवं वाद संख्या–08/2019 के अन्तर्गत दस्तावेज सं0–4382/2018 में मो0 1,22,704 रू0 कमी मुद्रांक की वूसली हेतु आदेष पारित किये जाने के कारण कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है, जो प्रषासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का अभाव को दर्षाता है। यह निबंधन अधिनियम एवं संगत सरकारी निदेषों तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) का उल्लंघन करने आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री बृज बिहारी शरण के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों के जॉच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री मनोज कुमार संजय, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला अवर निबंधक, शेखपुरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री शरण से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

———————

सं0 2/आरोप–01–65/2014–सा0प्र0–6079

सामान्य प्रशासन विभाग

———————

संकल्प

23 जून 2021

श्री आलोक कुमार (बि0प्र0से0), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटरा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 3037 दिनांक 18.09.2014 द्वारा आरोप–पत्र उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

श्री आलोक कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप–पत्र में आरोप है कि उनके द्वारा श्री अशोक साव, ग्राम–बसघट्टा को कपटपूर्वक हलवाई जाति के बदले कानू जाति के प्रमाण–पत्र का निर्गत करने के कारण गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर श्री साव वर्ष 2006 के पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर ग्राम पंचायत बसघट्टा प्रखंड कटरा से निर्वाचित हो गये। श्री कुमार का यह आचरण कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। इनका यह आचरण, बिहार सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1)(i)(ii)(iii) के प्रतिकूल है।

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्राप्त आरोपों एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों/कागजातों के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक 02.01.2016 कोस्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 3745 दिनांक 11.03.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 3675 दिनांक 12.07.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के मंतव्य की सम्यक् विचारोपरान्त आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है, जिसमें आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

सं0 2/सी0–111/2010–सा0प्र0–6866

------

9 जुलाई 2021

श्री अमरनाथ साहा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 549/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौहट्टा, सहरसा सम्प्रति सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रखंड मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसल के लिए कृषि अनुदान की राशि लाभुकों के बीच वितरित नहीं करने, इंदिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के विरूद्ध बी0पी0एल0 परिवार के लाभुकों के नाम बैंकों में खोले गये खाता संबंधी प्रतिवेदन नहीं भेजने, निदेश दिये जाने के बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् डाटा इन्ट्री का कार्य प्रारम्भ नहीं करने, एस0जी0एस0वाई0 की राशि खर्च नहीं करने, अकर्मण्यता, कर्त्तव्यहीनता एवं कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने इत्यादि आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 26/गो0 दिनांक 28.01.2010 द्वारा साक्ष्यों सहित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

श्री साहा से उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 2538 दिनांक 24.05.2010 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। श्री साहा के पत्रांक 66 दिनांक 15.08.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री साहा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री साहा के विरूद्ध आरोपों की वृहत् जाँच करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12500 दिनांक 14.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक 869 दिनांक 26.08.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप संख्या–1(3) एवं 2 को "**आंशिक रूप से प्रमाणित**" एवं शेष आरोप को "**अप्रमाणित**" प्रतिवेदित किया गया।

श्री साहा का दिनांक 30.09.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11676 दिनांक 09.12.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक 8042 दिनांक 08.09.2020 द्वारा श्री साहा से बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री साहा के पत्रांक 15/गो0 दिनंक 15.09.2020 द्वारा बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री साहा ने अपने अभिकथन में कहा है कि किसी भी आरोप को प्रमाणित होने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जिसका यहाँ सर्वथा अभाव है। बिना प्रासंगिक साक्ष्य के कोई आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित नहीं हो सकता है। आरोप संख्या–2 जिसे संचालन पदाधिकारी ने आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया है के संबंध में इनका कहना है कि कोई भी साक्ष्य जिला प्रशासन के पास नहीं है अर्थात् प्रश्नगत आरोप साक्ष्यहीन एवं बेबुनियाद है।

श्री साहा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त बचाव अभ्यावेदन, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा की गयी। उपलब्ध प्रतिवेदन/अभिलेखों के समीक्षोपरांत श्री साहा के विरूद्ध निम्नांकित तथ्य पाया गया :–

जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा दिनांक 02.12.2008 को अंचल कार्यालय नवहट्टा के रोकड़ पंजी में कृषि अनुदान मद में मो0 रू0 1385100.00 शेष पाया, जबकि यह राशि वर्ष 2007 बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के विरूद्ध कृषकों को दिया जाना था। लेकिन इस राशि का वितरण किसानों को नहीं किया गया। किसानों के बीच व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप दिनांक 16.01.2008 को बिहार राज्य किसान सभा द्वारा धरना दिया गया। प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से लिखित में दिया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री साहा प्रायः 12–12.30 बजे अप0 तक कार्यालय आते हैं, कभी–कभी 3–4 बजे अप0 तक कार्यालय आते हैं और 5.00 बजे संध्या के बाद चले जाते हैं। कार्यालय अवधि में कार्यालय में रहकर कार्य नहीं करने तथा इंदिरा आवास, कृषि अनुदान का कार्य नहीं किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न जन आक्रोश के कारण लगभग चार दिनों से नवहट्टा प्रखंड में संचालित अनशन को दिनांक 10.05.2008 को उप विकास आयुक्त, सहरसा के हस्तक्षेप के पश्चात् समाप्त किया गया।

आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 869 दिनांक 26.08.2020 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में भी श्री साहा के विरूद्ध आरोप संख्या–1(3) एवं 2 को "**आंशिक रूप से प्रमाणित**" एवं शेष आरोप को "**अप्रमाणित**" प्रतिवेदित किया गया।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री साहा के बचाव अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत "**05 प्रतिशत पेंशन पाँच वर्षों के लिए कटौती**" का शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 729 दिनांक 15.01.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति/परामर्श उपलब्ध कराने

का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर आयोग के पत्रांक–05/प्रो0–1–04/2021–606/लो0से0आ0 दिनांक 28.06.2021 द्वारा सहमति दी गयी है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार एवं आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री अमरनाथ साहा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 549/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौहट्टा, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत "**05 प्रतिशत पेंशन पाँच वर्षों के लिए कटौती**" का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

———————

सं0 2/सी0–1053/2010–सा0प्र0–8080

————————

4 अगस्त 2021

श्री आनन्द प्रकाश (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक–1088/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा, मधुबनी सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रक्सौल के विरूद्ध आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1266/आ0प0 दिनांक 19.05.2010 द्वारा आरोप–पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री प्रकाश के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा प्रपत्र ix में जिला को गलत प्रतिवेदन भेजकरं गुमराह किया गया तथा सोची–समझी साजिश के तहत् पूरे अंचल के प्रभावित परिवारों के लिए आवंटित खाद्यान्न की मात्रा को एक ही कर्मचारी से उठाव एवं वितरण कराया गया तथा उनके ताल–मेल से सहाय्य सामग्री एवं राशि वितरण से अनियमितता बरती गयी। उनके विरूद्ध वास्तविक तथ्य को छिपाने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, नगर वितरण राशि का अभिश्रव जाँच पदाधिकारी –सह–उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, फुलपरास को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा सरकारी राशि का गबन किया गया। श्री प्रकाश पर वर्ष 2007–08 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति मद में उप आवंटित राशि का वितरण नहीं करने एवं व्ययगत करा दिये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 5635 दिनांक 11.06.2010 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। किन्तु श्री प्रकाश का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11860 दिनांक 27.08.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक 308 दिनांक 28.02.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री प्रकाश के विरूद्ध आरोप सं0–1, 2 एवं 3 को आंशिक प्रमाणित, आरोप सं0–4 एवं 5 को अप्रमाणित तथा आरोप सं0–6 को पूर्ण रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक 1457 दिनांक 03.02.2021 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री प्रकाश से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री प्रकाश के पत्रांक 47/लो0शि0 दिनांक 26.02.2021 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त आंशिक प्रमाणित/प्रमाणित आरोपों की विवरणी निम्नलिखित है :–

आरोप–01 :– आपके द्वारा प्रपत्र ix में जिला को गलत प्रतिवेदन भेजकर गुमराह किया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य/निष्कर्ष :– आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फुलपरास–सह–जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण, बचाव बयान एवं जिला पदाधिकारी का मंतव्य के परिशीलनोपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र ix एवं उसके पश्चात् बाढ़ राहत संबंधी खाद्यान्न प्रतिवेदन जो भेजा गया उसमें आंकड़ों की भिन्नता है जो कि उनके द्वारा स्वीकार किया गया है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों से प्राप्त आंशिक रिपोर्ट के आधार पर ही त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा इसके लिए क्षेत्रीय/कार्यालय कर्मियों को दोषी मानते हुए असहयोग करने का आरोप लगाया गया जो कि एक नियंत्री पदाधिकारी के लिए उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी पदाधिकारी को सभी वितरण संबंधी आंकड़ा इकट्ठा कर प्रतिवेदन भेजना चाहिए था, परन्तु ऐसा न करना प्रशासनिक कमी को दर्शाता है। यह आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

आरोप–02 :– आपके द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत् पूरे अंचल के प्रभावित परिवारों के लिए आवंटित खाद्यान्न की मात्रा को एक ही कर्मचारी श्री सुरेश प्रसाद से उठाव एवं वितरण कराया जाना एवं उनसे ताल मेल कर साहयय सामग्री एवं राशि वितरण में अनियमितता बरता जाना।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य/निष्कर्ष :– उक्त आरोप पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फुलपरास–सह–जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण, बचाव बयान एवं जिला पदाधिकारी का मंतव्य के परिशीलनोपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उक्त गोदाम में खाद्यान्न का भंडारण आवागमन एवं वितरण की सुविधा, भण्डारण की क्षमता, सुरक्षा तथा जिलाधिकारी के द्वारा निर्गत निदेश के मद्दे नजर रखते हुए किया गया था। इस आरोप में आरोपी पदाधिकारी एवं श्री सुरेश प्रसाद, राजस्व कर्मचारी के आपसी तालमेल से बड़े पैमाने पर सहाय्य सामग्री एवं राशि के वितरण में अयिमितता बरतने का आरोप परिलक्षित नहीं हो रहा है। आरोपी पदाधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त अंचल कार्यालय, घोघरडीहा से निर्गत पत्रांक 721 दिनांक 29.08.2013 से प्रथम नोटिस निर्गत तथा पुनः पत्रांक 573 दिनांक 16.06.2014 के माध्यम से 901.49 क्वींटल खाद्यान्न का 622.00 रू0 प्रति क्विंटल की दर से मो0–रू0 5,61,268.00 (पाँच लाख एकसठ हजार दो सौ अड़सठ) रू0 अंचल कार्यालय, घोघरडीहा में जमा करने हेतु श्री सुरेश प्रसाद को नोटिस दिया गया है। अंचल अधिकारी के द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 1001 दिनांक 10.09.2014 से वर्ष 2007–08 में बाढ़ राहत खाद्यान्न वितरण के पश्चात् संबंधित कर्मियों के विरूद्ध अवशेष खाद्यान्न/अभिश्रव लंबित रहा है, जिसके

समायोजन/राशि वसूली हेतु उन्हें नोटिस भी निर्गत किया गया है। इस संबंध में पूर्व में ही आरोपी पदाधिकारी को ससमय अभिश्रव समर्पित नहीं करने की स्थिति में संबंधित कर्मी के विरूद्ध उच्चाधिकारी को अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करना चाहिए था। इस आरोप में आरोपी पदाधिकारी की प्रशासनिक कमी परिलक्षित होती है। यह आरोप भी आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

आरोप–03 :– वास्तविक तथ्य को छुपाने में आपकी संलिप्तता परिलक्षित होना।

आरोप का विवरण:–श्री सुरेश प्रसाद, राजस्व कर्मचारी द्वारा उठाव किये गये कुल 21528.01 क्वीं खाद्यान्न में से पाये गये अभिश्रव 19579.75 क्वीं वितरण के पश्चात् कुल 1948.26 क्वीं खाद्यान्न अंचल के भंडार में होना चाहिए। किन्तु जाँच पदाधिकारी–सह–उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, फुलपरास द्वारा अंचल गोदाम में मात्र 550.00 क्वीं. खाद्यान्न ही पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि गोदाम में 1398.26 क्वीं. खाद्यान्न कम पाया गया। इस तथ्य को भी आपके द्वारा छुपाया गया एवं संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध भी आपके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई जिसमें पूर्णतः आपकी संलिप्तता परिलक्षित होती है। इसकी पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास द्वारा भी अपने प्रेषित मंतव्य में की गई है।

संदर्भित जाँच प्रतिवेदन के क्रम में जिला पदाधिकारी, मधुबनी ने अपने पत्रांक 748 दिनांक 21.08.2008 द्वारा राज्य खाद्य निगम से 28555.72 क्वीं खाद्यान्न प्राप्त करने तथा आपके द्वारा समर्पित प्रपत्र ix के अनुसार आपके द्वारा 28556 क्वीं खाद्यान्न का वितरण 28575 परिवारों के बीच करने तथा इसी खाद्यान्न में से 21528 क्वीं खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण का कार्य जान–बूझकर श्री सुरेश प्रसाद, राजस्व कर्मचारी से करवाने तथा अपना गोदाम बाजार समिति, घोघरडीहा में रखने तथा दिनांक 16.07.2008 को जाँच में गोदाम में मात्र 550 क्वीं. गेहूँ का पाया जाना तथा श्री प्रसाद द्वारा लगभग 1400 क्वीं खाद्यान्न के वितरण का साक्ष्य न दिया जाना आपके एवं श्री प्रसाद के आपसी ताल–मेल को पूर्णतः उजागर करता है, जिसमें आपके द्वारा बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री एवं राशि के वितरण में अनियमितता एवं प्रशासन को गुमराह करने का सुनियोजित तरीका अपनाया गया है। इसकी पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास ने भी अपने प्रेषित मंतव्य में स्पष्ट रूप से किया है कि द्वितीय चरण में खाद्यान्न वितरण में आपे द्वारा अनियमितता एवं लापरवाही बरती गई है। साथ ही वास्तविक तथ्य को छुपाया गया है, जिसमें आपकी संलिप्तता स्पष्ट परिलक्षित होता है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य/निष्कर्ष :–यथा उपरोक्त कंडिकाओं में मंतव्य अंकित किया गया है।

आरोप–06 :– वर्ष 2007–08 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति मद में उपावंटित राशि का वितरण नहीं कर व्ययगत करा देना।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य/निष्कर्ष :– उक्त आरोप पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फुलपरास–सह–जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण, बचाव बयान एवं जिला पदाधिकारी का मंतव्य के परिशीलनोपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा पूर्व से उपलब्ध राशि से छात्रवृति की राशि की वितरण की गयी है। अतएव अनुसूचित जाति के हितों की अवहेलना का आरोप परिलक्षित नहीं होता है, परन्तु जहाँ तक उपबंधित राशि का व्ययगत कराने का प्रश्न है इस संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है कि तत्कालीन स्थापना (विपत्र) लिपिक जितेन्द्र कुमार के द्वारा इस मद में उपबंधित राशि का विपत्र तैयार कर उपस्थापित ही नहीं किया गया जिसके कारण कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जा सकी। आरोपी पदाधिकारी का दायित्व था कि एक नियंत्री पदाधिकारी के नाते यदि वर्ष 2007–08 में आरोपी पदाधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। वर्णित स्थिति मे यह आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आंशिक प्रमाणित/ प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रकाश द्वारा अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा सभी आरोपों से इनकार किया गया है।

प्रतिवेदित आरोप, स्पष्टीकरण संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री प्रकाश का लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप बाढ़ सहाय्य मद के खाद्यान्नों के वितरण में बरती गयी अनियमितता से संबंधित है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं0–1, 2 एवं 3 को आंशिक प्रमाणित तथा आरोप सं0–6 को पूर्ण रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री प्रकाश के विरूद्ध अंतिम रूप से जिला को प्रपत्र ix में गलत प्रतिवेदन भेजकर गुमराह किये जाने का आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित है। उनके द्वारा साजिश के तहत् पूरे अंचल के प्रभावित परिवारों के लिए आंवटित खाद्यान्न की मात्रा को एक ही कर्मचारी श्री सुरेश प्रसाद से उठाव एवं वितरण कराया जाना एवं उनसे ताल मेल कर साहयय सामग्री एवं राशि वितरण में अनियमितता संबंधी आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। साथ ही वास्तविक तथ्य को छुपाने में श्री प्रकाश की संलिप्तता के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाया गया है।

श्री प्रकाश के विरूद्ध वर्ष 2007–08 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति मद में उपावंटित राशि का वितरण नहीं कर व्ययगत करा दिये जाने संबंधी आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी का कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फुलपरास–सह–जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/ आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण, बचाव बयान एवं जिला पदाधिकारी का मंतव्य के परिशीलनोपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा पूर्व से उपलब्ध राशि से छात्रवृति की राशि की वितरण की गयी है। अतएव अनुसूचित जाति के हितों की अवहेलना का आरोप परिलक्षित नहीं होता है, परन्तु जहाँ तक उपबंधित राशि का व्ययगत कराने का प्रश्न है इस संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है कि तत्कालीन स्थापना (विपत्र) लिपिक जितेन्द्र कुमार के द्वारा इस मद में उपबंधित राशि का विपत्र तैयार कर उपस्थापित ही नहीं किया गया जिसके कारण कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जा सकी। आरोपी पदाधिकारी का दायित्व था कि एक नियंत्री पदाधिकारी के नाते यदि वर्ष 2007–08 में आरोपी पदाधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतएव यह आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री प्रकाश द्वारा बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित आम जनता की सहायता हेतु बाढ़ सहाय्य मद के खाद्यान्नों के वितरण में गंभीर अनियमितता बरती गयी है। स्पष्टतया श्री प्रकाश का यह कार्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् श्री प्रकाश के विरूद्ध **(i) देय तिथि से तीन वर्षों के लिए प्रोन्नति पर रोक, (ii) संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धियों पर रोक** का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक 5820 दिनांक 26.06.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री प्रकाश के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक 840/लो0से0आ0 दिनांक 09.07.2021 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री आनन्द प्रकाश (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक–1088/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा, मधुबनी सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रक्सौल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है–

(i) देय तिथि से तीन वर्षों के लिए प्रोन्नति पर रोक,

(ii) संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धियों पर रोक।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

——————

सं0 2/नि0था0–11–04/2016–सा0प्र0—8063

——————

4 अगस्त 2021

श्री अनिमेष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 864/11, उप सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध वार्षिक सम्पत्ति विवरणी में अपने बैंकों का पूर्ण विवरण सहित चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण समर्पित नहीं करने, नाजायज एवं अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को छुपाने की मंशा से संबंधित आरोपों के लिए परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6450/परि0 दिनांक 2810.2016 के माध्यम से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2013/अप0शा0 दिनांक 05.09.2016 द्वारा निगरानी थाना कांड सं0 082/2016 दिनांक 26.08.2016 के प्राथमिकी की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया। निगरानी विभाग से प्राप्त अभिलेखों एवं उपलब्ध वार्षिक सम्पत्ति विवरणी (वर्ष 2015) के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप–पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विभागीय पत्रांक 14296 दिनांक 18.10.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप–पत्र में वर्णित आरोपों पर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार के पत्र दिनांक 04.11.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा नजायज एवं अवैध रूप से सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है। अतएव आरोप की गंभीरता के आलोक में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनिमेष कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 864/11, उप सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर इसकी सूचना संचालन पदाधिकारी एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को दें।

श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

——————

सं0 2/आरोप–01–41/2018–सा0प्र0—4266

——————

26 मार्च 2021

श्री अरूणाभ चन्द्र वर्मा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 716/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव सम्प्रति उप सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विरूद्ध आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक 405 दिनांक 22.11.2018 द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत् दायर अपीलवाद अनन्य संख्या–422110102061700821/1A/2A (अपीलार्थी श्री अनिल कुमार वैश्य) की सुनवाई में पारित आदेश में पदीय कदाचार पाये जाने संबंधी आरोपों के आरोप–पत्र (प्रपत्र 'क') उपलब्ध कराया गया।

विभागीय पत्रांक 9923 दिनांक 19.10.2020 एवं पत्रांक 11106 दिनांक 24.11.2020 द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में श्री वर्मा के पत्र दिनांक 15.12.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री वर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए इनके विरूद्ध आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में आयुक्त, पटना

प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर से अनुरोध है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

श्री वर्मा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

——————

सं0 2/आरोप–01–34/2018–सा0प्र0——7928

2 अगस्त 2021

श्री दिलीप कुमार अग्रवाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 959/11, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध जिला परिवहन कार्यालय, बेतिया में लगभग 26 हजार निबंधन स्मार्ट कार्ड निर्गमन हेतु लंबित पाये जाने तथा विभागीय कार्यवाही की सुनवाई में उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में शामिल नहीं होने संबंधी प्रतिवेदित आरोप गठित कर जिला पदाधिकारी, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 286 दिनांक 14.09.2018 द्वारा श्री अग्रवाल के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अग्रवाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के सम्यक् विचारोपरांत अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13203 दिनांक 23.09.2019 द्वारा आरोपों की बृहद् जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 230 दिनांक 04.04.2020 द्वारा श्री अग्रवाल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या–01 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या–02 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित मंतव्य/निष्कर्ष निम्नवत् है :–

''निबंधन स्मार्ट कार्ड लंबित रहने के कारण वाहन स्वामियों को निबंधन स्मार्ट कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया। वाहन के निबंधन के उपरांत निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना जिला परिवहन पदाधिकारी का दायित्व है। अतः निबंधन स्मार्ट कार्ड निर्गमन हेतु लंबित रखने की जिम्मेदारी से कार्यालय प्रधान होने के कारण श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया को मुक्त नहीं किया जा सकता है तथा बड़ी संख्या में निबंधन स्मार्ट कार्ड निर्गमन हेतु लंबित रखने के वे दोषी हैं एवं नियंत्री पदाधिकारी पर दोषारोपण सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल भी है।''

संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित मंतव्य/निष्कर्ष पर विभागीय पत्रांक 6274 दिनांक 29.06.2020 द्वारा श्री अग्रवाल से बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री अग्रवाल के पत्र दिनांक 16.07.2020 द्वारा बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अग्रवाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री अग्रवाल के बचाव अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोप संख्या–1 को ''प्रमाणित'' एवं आरोप संख्या–2 को ''अप्रमाणित'' पाया गया। आरोप संख्या–1 लगभग 26 हजार वाहन निबंधन स्मार्ट कार्ड को निर्गम हेतु लंबित रखने का आरोप संचालन पदाधिकारी ने जाँचोपरान्त सही प्रतिवेदित किया। अभ्यावेदन से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी ने लंबित समार्ट कार्ड के निष्पादन हेतु सार्थक प्रयास किए थे और प्रयास करने के पश्चात् लगभग 2500 स्मार्ट कार्ड ही लंबित थे। अभ्यावेदन के साथ संलग्न पत्राचार से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी ने परिवहन विभाग से पत्राचार भी किया था, ताकि शीघ्र निष्पादन हो सके। यह भी द्रष्टव्य है कि आरोप के अवधि में उनके मूल पदस्थापन जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण था तथा उन्हें जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण का प्रभार दिया गया था। दोनों ही जिले बहुत बड़े आकार के हैं तथा कार्य की अधिकता है। इस प्रकार कुछ काम परिस्थितिजन्य कारणों से लंबित रहने की बात समझ में आती है। उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री अग्रवाल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापाक 12617 दिनांक 28.12.2020 द्वारा ***''चेतावनी तथा दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोकने''*** का दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री अग्रवाल के पत्र दिनांक 13.01.2021 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री अग्रवाल का कहना है कि–

''(क) वस्तुतः इस आरोप (आरोप संख्या–1) का बुनियाद ही ठीक नहीं है। प्रपत्र 'क' में जो साक्ष्य संलग्न है वे मेरे नाम से ही नहीं है क्योंकि उसके पूर्व ही मैं बेतिया से स्थानान्तरित एवं पदमुक्त होकर प्रस्थान कर चुका था। फिर उस साक्ष्य विहीन आरोप को तो इसी साक्ष्य विहीनता के एवज में शून्य घोषित कर देना चाहिए था अथवा यदि विधि सम्मत हो तो नये साक्ष्य की मांग करनी चाहिए पर साक्ष्य विहीन आरोप पर दण्ड अधिरोपित करना सर्वथा अनुचित है।

(ख) मूल आरोप यह था कि लगभग 26000 निबंधन स्मार्ट कार्ड लंबित होने की स्थिति में विभागीय पत्र एवं जिला पदाधिकारी, बेतिया के पत्रों द्वारा निदेश दिए जाने के बावजूद उसे मेरे द्वारा अद्यतन नहीं किया गया। इस संबंध में तीनों बातें गलत है क्योंकि :–

(1) न तो 26000 निबंधन स्मार्ट कार्ड लंबित थे।

(2) न तो मेरी कार्यवधि में तथाकथित वह विभागीय पत्र ड्राफ्ट हुआ तथा

(3) न तो जिला पदाधिकारी, बेतिया ने मेरी कार्यावधि में मुझे कोई निदेश दिया।

वस्तुतः संचालन पदाधिकारी के समक्ष सुनवाई में भी यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त अनिर्गत विभागीय पत्र दिनांक 13.04.2018 का था और जिला पदाधिकारी, बेतिया का निदेशात्मक पत्र दिनांक 02.05.2018 का था जबकि मेरा स्थानान्तरण दिनांक 26.03.2018 को हो चुका था और मैं सम्पूर्ण रूप से प्रभार मुक्त होकर दिनांक 11.04.2018 को हीं बेतिया से प्रस्थान कर चुका था।

उपर्युक्त तथ्यों की विवेचना से संभवतः यह स्पष्ट हो गया होगा कि मूल आरोप के तीनों बिन्दु असत्य है, तब अनुशासनिक प्राधिकार को मेरे विरूद्ध अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है, ताकि मुझे उचित न्याय मिल सके। इस आलोक में मैं इस विश्वास के साथ अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित करता हूँ कि सक्षम अपीलीय प्राधिकार द्वारा इस पर युक्ति–युक्त निर्णय लिया जाएगा।''

श्री अग्रवाल के पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु पर परिवहन विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें कंडिकावार कहना है कि :–

➢ जिला परिवहन कार्यालय, बेतिया को वित्तीय वर्ष 2017–18 में निबंधन हेतु 31 हजार स्मार्ट कार्ड एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के विभिन्न तिथियों में 71 हजार स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया गये। उल्लेखनीय है कि निबंधन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें नये एवं पुराने वाहनों के निबंधन हेतु स्मार्ट कार्ड दिये जाते हैं। सॉफ्टवेयर के अनुसार दिनांक 13.04.2018 के पूर्व लगभग 26 हजार स्मार्ट कार्ड निर्गमन हेतु लंबित थे। इस हेतु विभागीय पत्रांक 2575 दिनांक 13.04.2018 द्वारा अत्यधिक मात्रा में RC बैकलॉग रखने हेतु श्री अग्रवाल से स्पष्टीकरण पूछा गया था। श्री अग्रवाल को यह कर्तव्य होना चाहिए था कि लंबित स्मार्ट कार्ड का निर्गमन प्राथमिकता के आधार पर पहले करना चाहिए था, तत्पश्चात् नये निबंधन कार्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया। अतः इनका दावा स्वीकार योग्य नहीं है।

➢ जिला परिवहन कार्यालय, बेतिया के कर्मियों द्वारा तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया को सम्बोधित दिनांक 17.04.2018 को पत्र लिखा गया था, जिसमें उक्त कार्यालय के कर्मियों द्वारा स्वीकार किया गया है कि दिनांक 17.04.2018 तक वाहन के निबंधन हेतु KMS Pendency की कुल संख्या 18240 है। तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी के पत्रांक 379 दिनांक 07.05.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेतिया को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी अर्थात् श्री दिलीप कुमार अग्रवाल द्वारा अत्यधिक मात्रा में RC Backlog Pendency रखा गया है। अतः श्री अग्रवाल के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की जाय। स्पष्ट है कि श्री अग्रवाल द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में अत्यधिक मात्रा में Backlog Pendency रखा गया और Pendency समाप्त करने की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं किया गया। अतः श्री अग्रवाल दावा अस्वीकार योग्य है।

➢ विभाग द्वारा ज्ञापांक 02 सामग्री 35/2016 दिनांक 13.04.2018 निर्गत नहीं किया गया **यह** दावा निराधार एवं बेबुनियाद है, क्योंकि विभाग के संचिका संख्या–02/सामग्री 35/2016 से पत्रांक 2575 दिनांक 13.04.2018 निर्गत है।

➢ विभागीय जाँच आयुक्त के आदेश ज्ञापांक 388 दिनांक 07.05.2018 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि श्री दिलीप कुमार अग्रवाल पिछली चार तिथियों से अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे जान–बूझकर उपस्थित नहीं हो रहे हैं और विभागीय कार्यवाही के निस्तार में अपेक्षित सहयोग नहीं दे रहे है। इस स्पष्ट है कि श्री अग्रवाल दिनांक 11.04.2018 के पूर्व के तिथियों में भी उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। अतः इनका दावा स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री अग्रवाल के पुनर्विचार अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं की समीक्षा प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं परिवहन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य के आलोक में की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री अग्रवाल द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दु परिवहन विभाग, बिहार, पटना के मंतव्य के आलोक में स्वीकार योग्य नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी जाँच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित पाया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त श्री अग्रवाल के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापाक 12617 दिनांक 28.12.2020 द्वारा ***''चेतावनी तथा दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोकने''*** का दंड अधिरोपित किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अग्रवाल के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में अधिरोपित ***''चेतावनी तथा दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोकने''*** के दंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री दिलीप कुमार अग्रवाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 959/11, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में अधिरोपित ***''चेतावनी तथा दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोकने''*** के दंड को बरकरार रखा जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

——————

सं0 2/आरोप–01–45/2017–सा0प्र0——6990

———————

13 जुलाई 2021

श्री दीपू कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 823/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जन्दाहा सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, भागलपुर के विरूद्ध इंदिरा आवास के आवंटन में नियमों की अनदेखी करने एवं बी0पी0एल0 क्रम का उल्लंघन करने/पंचायत विशेष को निर्धारित संख्या से काफी अधिक संख्या में इंदिरा आवास उपलब्ध कराने/पूरे प्रखंड में ऐसे लोगों को इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने, जिन्हें पूर्व में लाभ दिया जा चुका था/प्रखंड में ऐसे लोगों को इंदिरा आवास दिये जाने, जिन्हें पूर्व से पक्का मकान था/कुछ ऐसे लोगों को इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने, जिनका बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं था/एक ही परिवार में एक से अधिक इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने आरोपों के लिए गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 333879 दिनांक 18.10.2017 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित आरोप–पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 14496 दिनांक 16.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर श्री कुमार के पत्रांक 2922 दिनांक 09.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 768 दिनांक 16.01.2018 द्वारा प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 356629 दिनांक 26.02.2018 द्वारा प्रेषित मंतव्य में श्री कुमार के स्ष्टीकरण को संतोषजनक नहीं प्रतिवेदित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्राप्त मंतव्य के सम्यक् विचारोपरान्त अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17(3) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6479 दिनांक 18.05.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 27 दिनांक 29.11.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें कुल–06 आरोपों में आरोप संख्या–02 और 04 को आंशिक प्रमाणित एवं आरोप संख्या–01, 03, 05 तथा 06 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक 321 दिनांक 09.01.2020 एवं कई स्मारों द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आंशिक प्रमाणित एवं प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री कुमार का बचाव अभ्यावेदन सम्प्रति अप्राप्त है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र के 6 आरोपों में से संचालन पदाधिकारी द्वारा चार आरोप को प्रमाणित बताया गया तथा दो आरोप यथा आरोप संख्या 02 एवं 04 जिसमें पंचायत विशेष को निर्धारित संख्या से काफी अधिक इंदिरा आवास उपलब्ध कराये जाने एवं प्रखंड के ऐसे लोगों को, जिन्हें पक्का मकान है, इंदिरा आवास दिये जाने संबंधी आरोप आंशिक प्रमाणित पाया गया।

इसी प्रकार स्पष्ट है कि श्री दीपू कुमार के विरूद्ध इंदिरा आवास के आवंटन में नियमों की अनदेखी करने एवं बी0पी0एल0 क्रम का उल्लंघन करने/ पंचायत विशेष को निर्धारित संख्या से काफी अधिक संख्या में इंदिरा आवास उपलब्ध कराने/पूरे प्रखंड में ऐसे लोगों को इंदिरा आवास दिये जाने, जिन्हें पूर्व में पक्का मकान था/कुछ ऐसे लोगों को इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने, जिनका बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं था/एक ही परिवार में एक से अधिक इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने संबंधी आरोप प्रमाणित होते है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री दीपू कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 823/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जन्दाहा सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, भागलपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2010–11), (ii) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक** का दंड विनिश्चित किया गया।

उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 2979 दिनांक 03.03.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 608 दिनांक 28.06.2021 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दंड पर सहमति प्रदान की गयी है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री कुमार के विरूद्ध समर्पित अभ्यावेदन में प्रमाणित आरोप एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विनिश्चित दंड पर व्यक्त किये गये सहमति के आलोक में श्री दीपू कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 823/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जन्दाहा सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, भागलपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2010–11),

(ii) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

सं0 2/आरोप–01–05/2019–सा0प्र0––7175

16 जुलाई 2021

श्री हरिशंकर प्रसाद (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 432/11, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पदस्थापन अवधि में राजस्व के महत्वपूर्ण विषय सैरात के अभिलेखों का विधिवत् संधारण नहीं करना, सक्षम प्राधिकार के समक्ष ससमय सैरात अभिलेखों का उपस्थापन नहीं करना एवं आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के कार्यालय से प्राप्त पत्रों एवं स्मार के बावजूद भी विधिवत् संधारण कर अनुमोदन हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाना आदि आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 697 दिनांक 13.12.2019 द्वारा आरोप–पत्र उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप–पत्र एवं संचिका में उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित आरोप–पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 8822 दिनांक 28.09.2020, पत्रांक 1453 दिनांक 03.02.2021 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद के पत्रांक–कैम्प–01 दिनांक 19.02.2021 एवं पत्रांक–कैम्प–02 दिनांक 31.03.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु उक्त अवधि में सम्पादित सैरातों से संबंधित सम्पूर्ण कागजातों/दस्तावेजों/ अभिलेखों/संचिकाओं की छायाप्रति की मांग विभाग से की गयी। श्री प्रसाद को उन्हें दिये गये निदेश के आलोक में वांछित कागजात स्वयं संबंधित कार्यालय से प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा न कर स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने में अनावश्यक विलम्ब किया गया एवं स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोप की गंभीरता को देखते हुए गठित आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

श्री प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

––––––

सं0 2/आरोप–01–27/2016–सा0प्र0––6738

––––––

7 जुलाई 2021

श्री जय नारायण झा (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 313/11, तत्कालीन जिला भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोहनियाँ, कैमूर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या 14539/2015 शिवपरसन सिंह बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य से आच्छादित कैमूर जिला के मोहनियाँ अन्तर्गत अमरपुर के लोक निर्माण भवन, बिहार सरकार एवं अनावाद बिहार सरकार की भूमि को अंचल मोहनियाँ के लगान निर्धारण वाद संख्या 05/2001–02 तथा विविध वाद संख्या 14/2002–03 में बरती गयी अनियमितता से संबंधित प्रतिवेदित आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप–पत्र में यह आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि :–

''कैमूर जिला के मोहनियाँ अन्तर्गत मौजा अमरपुर के अंचल लोक निर्माण भवन, बिहार सरकार एवं अनावाद बिहार सरकार की भूमि को अंचल मोहनियाँ के लगान निर्धारण वाद संख्या 05/2001–02 तथा विविध वाद संख्या 14/2002–03 के माध्यम से तत्कालीन अंचलाधिकारी एवं भूमि उप समाहर्त्ता, मोहनियाँ द्वारा निष्पादित किया गया है। मौजा अमरपुर, खाता संख्या 231/120, खेसरा संख्या 641, रकबा 0.85 पुराना सर्वे में गैर मजरूआ आम किस्म जमीन पोखरा करके दर्ज है। इस प्रकार अंचल अधिकारी, भूमि उप समाहर्त्ता, मोहनियाँ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सरकारी भूमि के विरूद्ध व्यक्ति विशेष के पक्ष में दाखिल खारिज वाद तथा लगान निर्धारण उसके मिली–भगत से आदेश पारित किया गया है।''

चूँकि श्री झा दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत्त हो गये एवं सेवानिवृत्ति उपरान्त इनके विरूद्ध आरोप–पत्र प्राप्त हुआ, अतएव इसलिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों एवं बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत् कालबाधित पाया गया। मामले की समीक्षोपरान्त बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई करते हुए श्री झा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री झा के पत्र संख्या–कैम्प मधुबनी दिनांक 20.11.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें श्री झा का कहना है कि :–

''प्रशनगत भूमि मौजा–अमरपुर, थाना नंबर–539, खाता नंबर–230, खेसरा नंबर–1057, रकवा–5 डिसमिल भूमि अंचल अधिकारी महोनियाँ द्वारा आवेदक प्रेम शंकर लाल (तत्कालीन आवेदक वर्तमान में स्वर्गीय) के पक्ष में सहायक निर्देशक चकबंदी रोहतास (सासाराम) वाद सं0 5/99/229/ 94 में पारित आदेश के आधार पर भेजा गया था। अंचलाधिकारी, महोनियाँ ने संतुष्ट होकर अभिलेख में अनुशंसा किया है कि उक्त 5 (पाँच) डिसमिल भूमि आवेदक प्रेम शंकर लाल को 50 वर्षों से दखल कब्जा में है। रास्ता वाधित नहीं है अर्थात् 50 वर्षों से उक्त जमीन पर रास्ता का प्रयोग नहीं हो रहा है। खतियान में भी अनावाद बिहार सरकार है, ना की अनावाद बिहार सरकार सर्व साधारण।

सहायक निर्देशक चकबंदी, रोहतास (सासाराम) ने अपने अपील वाद 5/99/229/94 द्वारा उक्त 5 (पाँच) डिसमिल पर आवेदक का स्वत्व होने का आदेश पारित किया है तथा कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचलाधिकारी, महोनियाँ द्वारा उक्त भूमि पर आवेदक का 50 वर्षों से दखल कब्जा पाये जाने का जाँच प्रतिवेदन दिया गया था।''

श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें कहा गया है कि :–

''श्री झा, राजस्व पदाधिकारी होते हुए जानबूझकर श्री प्रेम शंकर लाल को मदद पहुंचाने हेतु सरकारी भूमि का लगान निर्धारण हेतु स्वीकृति दिये हैं, जो किसी रूप में उचित नहीं था।''

श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री झा द्वारा राजस्व पदाधिकारी होते हुए श्री प्रेम शंकर लाल को मदद पहुंचाने हेतु सरकारी भूमि का लगान निर्धारण हेतु स्वीकृति दिया गया, जो उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139(सी) के व्याख्या के अंतर्गत वर्णित है कि :–

"After careful consideration, the Government has been pleased to decide that the pension sanctioning authority, before passing any final order regarding reduction in the amount of pension or gratuity or both shall serve upon the person concerned a notice specifying the reduction proposed to be made in such amount and the grounds therefore, and call upon such person to submit within fifteen days of the receipt of the notice or such further time as may be allowed by that authority such representation as such person may wish to make against the proposed reduction and take into consideration the representation, if any, submitted by such person before passing the final order."

इस प्रकार श्री झा के द्वारा पदीय कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करने, स्वेच्छा एवं मनमानी पूर्वक कार्य करने एवं सरकारी भूमि के हित का ख्याल नहीं करने तथा सरकारी भूमि को व्यक्ति विशेष के नाम पर नामांतरण करना कदाचार एवं Grave misconduct की श्रेणी में आता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री जय नारायण झा (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 313/11, तत्कालीन जिला भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोहनियाँ, कैमूर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध ***"बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139(सी) के तहत् 10 प्रतिशत पेंशन 5 वर्षों के लिए अवरूद्ध "*** का दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चत दण्ड के प्रस्ताव पर श्री जय नारायण झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 313/11, तत्कालीन जिला भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोहनियाँ, कैमूर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् ***"10 प्रतिशत पेंशन 5 वर्षों के लिए अवरूद्ध"*** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

सं0 2/आरोप–01–02/2021–सा0प्र0––7176

16 जुलाई 2021

श्री जनक कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1193/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता–सह– प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के विरूद्ध श्री महावीर साह, पे0–स्व0 जयलाल साह, साकिन–नरहिया, अंचल–लौकही, जिला–मधुबनी से प्राप्त परिवाद–पत्र जिसमें परिवादकर्त्ता द्वारा अन्य आरोपों के साथ–साथ मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी एवं सहायक श्री अजय कुमार एवं श्री मुन्ना अमीन के द्वारा एन0एच0–104 एवं इन्डोनेपाल सड़क में मुआवजा के भुगतान में 3% एवं 8% रूपये लिया जाता है। श्री साह से प्राप्त परिवाद–पत्र की संयुक्त जाँच सामाहरणालय, मधुबनी के आदेश ज्ञापांक–238/जि0गो0 दिनांक 30.01.2017 के द्वारा अपर समाहर्त्ता, मधुबनी के नेतृत्व में संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, झंझारपुर–सह–भूमि सुधार समाहर्त्ता, फुलपरास से कराई गई। स्थलीय जाँचोपरान्त त्रि–सदस्यीय जाँच दल द्वारा पत्र संख्या–199/रा0गो0 दिनांक 12.06.2017 के माध्यम से संयुक्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया ***"जिसमें श्री कुमार द्वारा कृषि योग्य भूमि को आवासीय दर पर मुआवजा का भुगतान करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया,"*** जो सेवा नियम एवं शर्तें (बिहार सेवा संहिता) 2.5.1 का स्पष्ट उल्लंघन है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 1854 दिनांक 10.02.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 200 दिनांक 26.02.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु समय की मांग की गयी, किन्तु समय दिये जाने के बावजूद स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोप की गंभीरता को देखते हुए गठित आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेंगे।

श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 20—571+25-डी0टी0पी0।
Website : http://egazette.bih.nic.in